Technical Bid
मूल्य 500 रूपये
डाक द्वारा 550 रूपये

फार्म नं0 ....

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
एस.डी.ए. कर्मशियल कम्पलैक्स, ब्लॉक नम्बर 16–17,
कसुम्पटी, शिमला–171009

निविदा फार्म

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह **April,** 2010 के लिए एक लीटर बोतल पैक में कच्ची घानी सरसों तेल **Agmark Grade-I** की चौदह लाख बोतल (14,00,000) की खरीद हेतु प्रदेश में स्थित निगम के विभिन्न गोदामों के लिए आपूर्ति हेतू मोहरबन्द निविदायें मु. 21,00,000/– रूपए (मु0 इक्कीस लाख रूपये) की धरोहर राशि के बैंक ड्राफट के साथ आमंन्त्रित की जाती है । यदि किसी निविदक की निविदा दरें सबसे कम पाई जाती है और उसने आशिंक आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की है तो ऐसी स्थिति में निविदक को एक रूपये पच्चास पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जितने लीटर खाद्य तेल वह आपूर्ति कर सकता है उतनी राशि का बैंक ड्राफट धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा परन्तु यह मात्रा एक लाख लीटर से कम नहीं होगी । बैंक ड्राफट हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के पक्ष में बना हो और शिमला के किसी अधिसूचित बैंक में देय होना चाहिए । यह मात्रा अनुमानित है तथा यह घटाई एवम् बढ़ाई जा सकती है । यह निविदायें निगम के कसुम्पटी स्थित मुख्यालय में 08.03.2010 को 11.00 बजे तक पहुॅचनी अनिवार्य है । 11.00 बजे पूर्वाहन के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नही की जाएगी । तकनीकी निविदाओं को उसी दिन 11.30 बजे पूर्वाहन खोला जाएगा जबकि वित्तीय निविदाएं उसी दिन 12:30 बजे दोपहर बाद उन निविदा–दाताओं के सामने खोली जाएगी, जो उपस्थित होना चाहेगें । निगम के **Website: www. himapurti.com** से प्राप्त किए गए निविदा प्रपत्र को तभी वैद्य माना जाएगा जब निविदक इस निविदा प्रपत्र की कीमत 500/– रूपये बैक ड्राफट के रूप में निविदा के साथ संलग्न करेगा या 500/– रूपये नगद रूप में निविदायें बंद होने से पहले निगम के मुख्यालय में जमा करवा देगा ।

निविदा की शर्ते एवं नियमः–

1 निविदाएं दो प्रकार के लिफाफों में होनी चाहिए । एक लिफाफे में Technical bids होनी चाहिए, जिसके भीतर वांछित दस्तावेजों की प्रतियां तथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफट होने चाहिए । इस इपक के अन्तर्गत खाद्य तेल के नमूने अलग से प्राप्त किए जायेंगे । जिन निविदा–दाताओं की Technical bids सही पायी जाएंगी केवल उन्हीं की Financial bids खोली जाएंगी (चैक लिस्ट संलग्न) दूसरे लिफाफे में Financial इपके होनी चाहिए, जो संलग्न फार्म पर ही स्वीकार की जाएगीं जोकि निविदक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त/अधिकृत किसी सक्षम–अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हों । Technical bids और Financial bids के सील बन्द लिफाफे अलग–अलग लिफाफों में बन्द होने चाहिए ।

2. तमाम बोतल पर तोल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बन्द नियमों के अर्न्तगत सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए जैसे Name & full address of manufacturer/Packer, Name of Commodity, Net weight, Retailsale Price of commodity and month & year of Packing of commodity. प्लास्टिक की खाली बोतल का वजन बिना ढक्कन के कम से कम 27 ग्रम होना चाहिए । जिसका नमूना तकनीकी निविदा के साथ प्रत्येक निविदा–दाता को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।

3 निविदा–दाताओं को खाद्य तेल के दो नमूने पहचान चिन्हों सहित उपलब्ध करवाने होगें । बिना नमूनों के निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । एक निविदक को एक वस्तु के लिए तथा एक जैसी गुणवत्ता के लिए निविदा में एक ही दर प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । सफल निविदा–दाता को अनुमोदित नमूने के 12 सैम्पल उसी दिन उपलब्ध करवाने होंगे ।

4 i) उपरोक्त कच्ची घानी सरसो तेल की दरें एफ.ओ.आर. और निगम के भिन्न–भिन्न गोदामों के लिए सभी टैक्सों सहित (VAT) एक ही दर स्वीकार की जायेगी । जो निविदक अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय शासित राज्यों से सम्बन्धित होंगें उन्हें खाद्य तेलों का भुगतान हि.प्र. का 4 प्रतिशत VAT काटकर किया जाएगा । आपूर्तिकर्ता को खाद्य तेल की आपूर्ति हेतु despatch plan निगम द्वारा जारी किया जाएगा और खाद्य तेलों की आपूर्ति निगम द्वारा सूचित की गई Preference के आधार पर तुरन्त पूर्ण करनी होगी ।

ii) Loading at station of despatch will be the responsibility of the firm and un-loading and stacking at consignee's end in case of delivery by Rail/ Road will be arranged by the concerned consignee/DDO.

5 प्रतिभूति राशि आपूर्ति के सफल रूप से पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी । परन्तु प्रतिभूति राशि पर पार्टी को किसी प्रकार का व्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

6 सफल निविदा–दाताओं को खाद्य तेल की आपूर्ति, आपूर्ति–आदेश की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर आपूर्ति–आदेश की कुल मात्रा का 25% तथा अगले सात (7) दिनों में 35% और शेष छः (6) दिनों में बकाया 40% आपूर्ति सभी गोदामों तक पूरी करनी होगी अन्यथा उपरोक्त के अनुसार आपूर्ति न की गई मात्रा की राशि पर 1% प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 2% Liquidity Charges वसूल किये जाएगे । यदि फिर भी आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्य तेल की आपूर्ति पूरी नहीं की जाती है तो उसका आपूर्ति–आदेश रद्द किया जा सकता है तथा आपूर्तिकर्ता को ब्लैक–लिस्ट करने के साथ–2 उसकी धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार भी राज्य स्तरीय क्रय समिति को होगा ।

7 खाद्य तेल की अधिक मात्रा व पैकिंग कार्य को देखते हुए अगर L-I कम मात्रा के लिए दरें प्रस्तुत करता है और L-I पाए जाने के उपरान्त वह सरसों तेल की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है तो कमेटी L-I के अनुरोध को मानने बारे विचार कर सकती है और शेष मात्रा को देखते हुए जिसकी भी कम दरे होंगी, उनकी क्षमता तक L-I की दर पर आपूर्ति लेने के लिए कमेटी बातचीत करेगी और अगर L-I की दरों पर सहमति न बने तो उन द्वारा दी गई दरों पर आपूर्ति–आदेश देने पर कमेटी विचार कर सकती है । इस प्रकार जिनको भी आपूर्ति–आदेश जारी किये जाते है यदि निर्धारित अवधि तक आपूर्ति पूरी नहीं करते हैं तो उनके Risk & Cost पर आपूर्ति करवाई जाने तथा उस पर हुए अतिरिक्त खर्चो को धरोहर राशि व उनके देय भुगतान में से काटने का पूरा अधिकार राज्य स्तरीय क्रय समिति को होगा ।

8 तकनीकी निविदा में निविदा–दाता का सरसों तेल के व्यापार क्षेत्र में अनुभव, पैकिंग व ग्रेड़िंग (Grading) की व्यवस्था, पिछले तीन वर्षो में सरसों तेल के व्यापार में किया गया वर्ष–वार कुल कारोबार इत्यादि की सूचना सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे । इसके अतिरिक्त अपने उत्पाद बारे विवरण, फैक्ट्री की स्थिति, उत्पादन क्षमता व Turnover आदि का व्यौरा भी उपलब्ध करवाना होगा । प्रत्येक निविदा–दाता को निविदा के साथ फैक्ट्री की स्थिति और उत्पादन क्षमता के दस्तावेज शपथ पत्र (Affidavit) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगें । जिन पार्टियों ने उक्त दस्तावेज शपथ पत्र सहित दिनांक 12.8.08, 11.9.08 और 7.10.08 या उसके बाद निगम के मुख्यालय में जमा करवा दिए हैं उन्हें यह दस्तावेज दुबारा जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त कच्ची घानी सरसों तेल की लेवोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट में ब्राण्ड नाम, बैच नम्बर और माह एण्ड उत्पादन का वर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और नमूना भी उसी बैच नम्बर का होना चाहिए

अन्यथा निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और विश्लेषण रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगी जिसका Specimen इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है । सम्बन्धित Lab सरकार द्वारा किस पत्र के तहत अनुमोदित की गई है और इस की Validity कब तक है, की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है । उन फर्मो को उक्त रिपोर्ट के साथ तकनीकी निविदा में निर्धारित धरोहर राशि और कच्ची घानी सरसों तेल के नमूनें उपलब्ध करवाने होगें । जिन पार्टियों की Lab Report संलग्न Specimen के अनुसार नहीं होगी उनकी निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा । तकनीकी निविदा में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसमें कोई भी पिछला सन्दर्भ मान्य नहीं होगा ।

9 आपूर्तिकर्ता को खाद्य तेल का 90% भुगतान निगम के मुख्यालय द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा की प्राप्ति की पुष्टि सैम्पल के अनुसार करने के उपरान्त निगम के मुख्यालय द्वारा की जायेगी शेष 10% का भुगतान मूल बिलों के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों से सत्यापित होने के पश्चात मुख्यालय द्वारा किया जाएगा । यदि किसी स्थान पर खाद्य तेलों की गुणवता तथा मात्रा में अनुमोदित नमूनें से भिन्नता पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ता को अपने खर्चे पर उस आपूर्ति को एक सप्ताह के भीतर बदलना होगा । इस क्षति को पूरा करने के लिए अनुमोदित सैम्पल से भिन्न पाई गई मात्रा की राशि का 20% आपूर्तिकर्ता से दण्ड के रूप में वसूला जाएगा । आपूर्ति न बदलने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से खाद्य तेल के मूल्य के बराबर राशि उसके भुगतान से काट ली जाएगी । फिर भी यदि आपूर्ति बदलने के उपरान्त आपूर्ति किए गए खाद्य तेलों की गुणवता तथा मात्रा में अनुमोदित नमूने से भिन्नता पाई जाती हैं तो कम गुणवत्ता वाली खाद्य तेलों की मात्रा को राज्य स्तरीय क्रय समिति जब्त कर सकता हैं और आपूर्तिकर्ता को इसका भुगतान रोका जा सकता है व धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती हैं । यदि ट्रक लोड बनाने बारे आपूर्तिकर्ता कुल आपूर्ति–आदेश का 1% तक अधिक आपूर्ति करता है तो उस को नियमित कर दिया जाएगा ।

10. निविदक केन्द्रीय एवं सामान्य बिक्री कर के पंजीकरण की प्रति भी उपलब्ध करवायेगा इसके अतिरिक्त खाद्य तेलों की, जिसकी दरे निविदा में भरी होगी की Test Report सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला की होनी चाहिए और मूल रूप में संलग्न करनी होगी । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लैबोरेटरी की वैधता निविदा खुलने की तिथि तक वैध होनी चाहिए । कच्ची घानी ग्रेड–। सरसों तेल के Licence में उत्पादनकर्ता को Laboratory Testing की Specific Authority होनी चाहिए ।

11. खाद्य तेलों की शुद्धता एवम् गुणवत्ता के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेवार होगा । PFA के तहत अगर कोई सैम्पल भरा जाता हैं और PFA के अन्तर्गत भरा सैम्पल फेल हो जाता है तो आपूर्तिकर्ता पूर्णरूप से जिम्मेवार होगा और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इसके लिए किसी प्रकार से भी जिम्मेवार नहीं होगा । बोतल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए । यदि निगम खाद्य तेल का किसी Laboratory से विश्लेषण करवाता है तो उसका खर्चा पार्टी से वसूला जाएगा ।

12. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

13. राज्य स्तरीय क्रय समिति खाद्य तेल की अच्छी किस्म व गुणवता एवं उपभोक्ताओं में उसकी ब्राण्ड लोकप्रियता व मॉग को मध्यनजर रखते हुए किसी भी अन्य ब्राण्ड के खाद्य तेल को किसी भी दर पर क्रय करने के लिए पूर्ण अधिकृत हैं । खाद्य तेलों के स्थानीय उत्पादनकर्ताओं को कुल आपूर्ति की मात्रा का 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरों पर आपूर्ति के लिए अधिमान दिया जा सकता है परन्तु स्थानीय उत्पादनकर्ता उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए ।

14. उपरोक्त निविदाओ/आपूर्ति में कोई विवाद होने की स्थिति में सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश सरकार मध्यस्थ होगें तथा इस मामले में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

15. कच्ची घानी सरसों तेल के ढक्कन पर Agmark के चिन्ह सहित ग्रेड–। उत्कीर्ण होना चाहिए ।

16. उपरोक्त निविदायें/आपूर्ति केवल शिमला राजस्व जिला के न्यायिक अधिक्षेत्र के अर्न्तगत ही मानी जायेगी ।

17. आपूर्तिकर्ता को एक लीटर बोतल के Wrapper पर "H.P. Govt. Supplies on subsidised rates एवं हि.प्र. सरकार द्वारा अनुदान पर तथा Net Weight 1 Ltr. when packed और MRP Rs. 45/- per Ltr. with all taxes. अकिंत करना होगा" । इसके अतिरिक्त सभी पैक पर तोल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बन्द वस्तु नियमों के अन्तर्गत सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए ।

18. खाद्य तेलों की पैकिंग, गत्ते की ऐसी पेटियों में होनी चाहिए जिसमें माल खराब न हो । अगर माल उतारते समय गत्ते की पेटट्ी टूटी हुई पाई जाती है तो ऐसी गत्ते की पेटट्ी को माल सहित आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

19. प्रबन्ध निदेशक हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम शिमला किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रदद करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं ।

20. अनुदानित वस्तुओं की खरीद हेतू हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई क्रय समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी पार्टी की निविदा को पिछली चमतवितउंदबम उपयुक्त न होने के आधार पर अस्वीकार कर सकती है ।

मैं .... जो कम्पनी/फर्म का एक ....है,,.. उपरोक्त नियम व शर्तो को स्वीकार करता हूॅं तथा इन्हें मानते हुए ही यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅं ।

निविदक अथवा उसके प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

File:Desktop\Asha\Tender Pulses.doc

Check List of Technical Bid Envelop.

1 Bank draft of earnest money as per terms & conditions.

2 Samples of the tendered item. (Collected separately).

3 Authorisation letter to sign the tender document.

4 Technical bid should be duly signed by authorised signatory.

5 Copy of the Trade Licence and GST, CST and VAT registration.

6 Original Test report of Edible oils from a approved Laboratory along-with copy of letter whereby the Laboratory approved by the Government and required Affidavit as per term & condition No. 8.

7 Sample of Empty bottle.

8 Registration Certificate with Industries Department of Himachal Pradesh with validity for local Manufacturers only.

FINANCIAL BID

PROFORMA FOR FILLING IN RATES FOR THE SUPPLY OF EDIBLE OILS.

Name of Party _________________

Address : _________________________

Sr. No.	Name of item	Brand Name	Rates (FOR destination and inclusive of all taxes including HP Sales Tax/VAT)
1.	Agmark Kachhi Ghanni Grade-I Mustard Oil 1 ltr. bottle		

Signature of the supplier or his Authorized representative

Note :-

1. **One single pooled rate for each brand/ packing should be quoted for all the destinations, separate rates for separate destinations will not be acceptable.**

2 **List of Destinations enclosed.**

HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
(A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)
LIST OF GODOWNS/REQUIREMENT OF KACHI GHANI MUSTARD OIL 1 LTR. BOTTLE

S.No.	Destination	Kachi Ghanni Mustard Oil One Ltr Bottle approximate quantity. (Qty in Ltrs)
Distt. Sirmour		
1	Nahan	19000
2	Poanta Sahib	31400
3	Shillai	5200
4	Rajgarh	10300
5	Dadahu	6400
6	Sarahan	9000
7	Nauradhar	2500
8	Haripurdhar	3100
9	Kaffota	4700
10	Kupvi (of Shimla District.)	2200
	Total	**93800**
Distt. Mandi		
1	Mandi	33500
2	Joginder Nagar	20000
3	Sarkaghat	25000
4	Chowki	3100
5	Ner Chowk	22500
6	Sunder Nagar	24200
7	Karsog	18600
8	Dharampur Longni	8700
9	Baldwara	11000
10	Balichowki (Mandi	12300
11	Ladbharol	6600
12	Chailchowk	13000
13	Sandhole	4400
14	Nihri	2400
15	Thunag	7000
16	Padhar	7000
17	Barot	3300
	Total	**222600**
Distt. Kullu		
1	Kullu	18000
2	PatliKuhal	15800
3	Bhunter	17700
4	Anni	11600
5	Nirmand	9100
6	Dhaman	5100
7	Banjar	8100
	Total	**85400**
Distt. Solan		
1	Solan	17000
2	Dharampur	23300
3	Arki	16500
4	Kandaghat	7400
5	Nalagarh	25800
6	Ramshehar	6300
	Total	**96300**
Distt. Bilaspur		
1	Bilaspur	22800
2	Ghumarwin	35800
3	Shri Naina Devi Ji	9300
4	Jandhuta	17000
	Total	**84900**
Distt. Chamba		
1	Chamba	22500
2	Chowari	12000
3	Tissa	11600
4	Banikhet	11000

5	Sihunta	7400
6	Sundla	8300
7	Bharmour	3800
8	Kharamukh	3100
9	Holi	3500
10	Salooni	6000
	Total	**89200**
1	Una	37000
2	Amb	29500
3	Bangana	14000
4	Gagret	18600
5	Haroli	13300
	Total	**112400**
1	Dehra	20600
2	Ranital	13300
3	Chaitru	35600
4	Darri (D/shala)	18000
5	Nagrota Bagwan	28300
6	Maranda (Palampur)	26000
7	Nurpur	24600
8	Rehan	32300
9	Paprola	17800
10	Panchrukhi	15800
11	Lambagaon	11100
12	Dheera	8000
13	Pragpur	16000
14	Nagrota Surian	8800
15	Thural	8000
16	Jorbar	12100
17	Bhadwar	7700
18	Khundian	7000
19	Kandrori	21000
	Total	**332000**
1	Badsar	18600
2	Tarkwari	11200
3	Hamirpur	15800
4	Nadaun	24000
5	Sujanpur Tihra	9800
6	Patta	14200
7	Panjot	7200
8	Bhoni	6100
	Total	**106900**
1	Bhattakuffer	31000
2	Theog	15800
3	Jubbal	8100
4	Rohru	8900
5	Rampur	16000
6	Chopal	4800
7	Shimla Town	27900
8	Gumma	8200
9	Nerwa	7900
10	Narkand	11700
11	Nankhari	4100
12	Tikkar	6500
13	Chirgaon	5400
	Total	**156300**
1.	Tapri + Kaza at Tapri	10000
2.	Bhawanagar	4100
3.	Reckong Peo	3500
4.	Pooh + Chango at Pooh	2600
	Total:	**20200**
	Grand Total	**14,00,000 Ltrs.**

SPECIMEN OF LABORATORY TEST REPORT IN RESPECT OF MUSTARD OIL "AS PER AGMARK STANDARDS".

BRAND NAME: **BATCH NO. ________________________**

MONTH AND YEAR OF PACKING:________________

SR.NO.	PARTICULARS	AGMARK STANDARDS	RESULTS
1.	Moisture and insoluble impurities (wt%)	MAX. 0.25	
2.	Colour (¼" Cell) Y+5 R	CLEAR (NOT MORE THAN 49 IN ¼" CELL)	
3.	Specific Gravity (30/30C)	0.907 to 0.909	
4.	Refractive index 40°C or BR Reading at 40°C	1.4646-1.4662 or 58.0-60.5	
5.	Saponification Value	169-177	
6.	Iodione Value	98-112	
7.	Unsap mater (wt%)	MAX. 0.9	
8.	Acid Value (%by wt.)	MAX. 2.0	
9.	Essential Oil % by Wt.	0.20 to 0.60	
10.	Bellier Test (Turbidity Temp.)	MAX. 27.5	
11.	Poly Bromide Test	Negative	
12.	Test for Hydrocyanic Acid	Negative	
13.	Test for argemone (TLC)	Negative	
14.	Test for mineral Oil (TLC)	Negative	
15.	Test for rancidity	Negative	
16.	Suspended and foreign matter	Nil	
17.	Test and flavour	Characteristic	